(सुश्री सृष्टि चौरसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

(20)

न्यायालय–सुश्री सृष्टि चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर म.प्र.

निर्णय की तारीख : 08.02.2024

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) सत्यमेव जयते

Registration No. RCT 150/2020
Filing No. 534/2020
C.N.R. No.MP0907-000561-2020
Filing Date- 24-08-2020

पुलिस थाना गौतमपुरा जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 166/20
अपराध अंतर्गत धारा– 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. से उद्भूत प्रकरण

परिवादी/अभियोगी		मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री संजय जाटव (ए.डी.पी.ओ.)
अभियुक्त	1	शैतानराम पिता मुलाराम यादव उम्र– 28 वर्ष, निवासी– ग्राम धारना तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान
प्रतिनिधित्व द्वारा		अधिवक्ता श्री अर्जुन नागर

अपराध की तारीख	20.08.2020
प्र.सू.रि. की तारीख	21.08.2020
अपराध विवरण की तारीख	21.08.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	23.06.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	07.02.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	08.02.2024
निर्णय की तारीख	08.02.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं

08/02/24

(सुश्री सृष्टि चौरसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

अभियुक्त का विवरण

क.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1.	शैतानराम	21.08.2020	24.08.2020	भा.द.सं. की धारा 279	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची
कः— अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	मोहनसिंह (अ.सा.—1)	आहत

खः— प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो तोः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

(सुश्री सृष्टि बारसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महूपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–

क. अभियोजनः

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1/अ.सा.–1	प्र.सू.रि

ख. प्रतिरक्षाः–

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

//निर्णय//

(आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 279 का आरोप इस आशय का है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2020 को समय 21:30 बजे स्थान मेढकवास तलाब के पास गौतमपुरा, देपालपुर रोड़ सार्वजनिक स्थान पर वाहन नं. आर.जे. 23/जी.ए. 5143 को उपेक्षा एवं उतावलेपन ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर अभियुक्त शैतानराम को भा.दं.सं की धारा 337 के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है । यह निर्णय मात्र धारा 279 भादवि के संबंध में घोषित किया जा रहा है ।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि वह उक्त पते पर निवासरत है और खेती किसानी करता है। दिनांक 20.08.2020 को रात करीबन 09:30 बजे वह गौतमपुरा से जितेंद्र पिता राधेश्याम के साथ अपने घर मेंढकवास अपनी अल्टो कार क. एम पी 09/ सीएम 0691 से जा रहा था की मेढकवास तालाब के पास पहुंचा की सामने से आ रहा ट्रक क. आर जे 23/जी ए 5143 का चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी कार में सामने से टक्कर मार दी जिससे उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी जिससे उसे हल्की चोट लगी।

08/02/24

(सुश्री सृष्टि भारतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

जितेंद्र को कोई चोट नहीं लगी। फिर उसने थाने पर फोन लगाया बाद में रिपोर्ट करने थाने पर आया।

04– फरियादी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बेटमा में लेखबद्ध करवायी थी जिस पर अपराध क्रमांक 166/2020 धारा 279 एवं 337 भा.द.वि. दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, जप्ती व गिरफ्तारी कार्यवाही की गई एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं अन्वेषणोपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05– अभियुक्त द्वारा विरचित आरोप से अस्वीकार कर विचारण चाहा गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य सामने ना आने से अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

06– प्रकरण के समुचित निराकरण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू उत्पन्न होते हैं :–

> **1.** अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2020 को समय 21:30 बजे स्थान मेढकवास तलाब के पास गौतमपुरा, देपालपुर रोड़ सार्वजनिक स्थान पर वाहन नं. आर.जे. 23/जी.ए. 5143 को उपेक्षा एवं उतावलेपन ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया **?**

–: सकारण निष्कर्ष :–

विचारणीय प्रश्न कमांक 1:–

07. आहत मोहनसिंह पंवार (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपी शैतानराम को पहचानता है। दिनांक 20.08.2020 को रात्रि साढे नो बजे वह गौतमपुरा से जितेंद्र के साथ अपने घर मेंढकवास अपनी अल्टो कार क्र. एमपी 09 सीएम 0681 से जा रहा था कि मेढंकवास तलाब के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उसकी कार में टक्कर मार दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 थाना गौतमपुरा में करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है।

08. भा.दं.सं की धारा 279 को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये मानव

08/02/24
(सुश्री सृष्टि ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ...
देपालपुर, जिला इन्दौर (म...

जीवन संकटापन्न किया जाना प्रमाणित हो। आहत मोहनसिंह (अ.सा.01) द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछे गए, जिसमें आहत ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को वाहन नं. आर.जे. 23/जी.ए. 5143 का चालक अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसकी अल्टो कार में टक्कर मार दी थी। आहत मोहनसिंह पंवार को उसका पुलिस कथन प्रपी 01 के बी से बी भाग को पढकर सुनाए जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रकरण में इस संबंध में कोई साक्ष्य नही आए है कि अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था एवं उसी के द्वारा प्रश्नगत वाहन उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया जा रहा है।

09. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2020 को समय 21:30 बजे स्थान मेढकवास तलाब के पास गौतमपुरा, देपालपुर रोड़ सार्वजनिक स्थान पर वाहन नं. आर.जे. 23/जी.ए. 5143 को उपेक्षा एवं उतावलेपन ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया । अतः अभियुक्त शैतानराम को भा.द.सं. की धारा 279 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र द.प्र.सं. की धारा 437 ए के प्रयोजन हेतु 06 माह की अवधि के लिये विस्तारित किये जाते हैं, जो कि अपील न होने पर स्वमेव भारमुक्त समझे जावे।

11. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक कं. आर.जे. 23/जी.ए. 5143 मय दस्तावेज आवेदक सेवाराम पिता नारायण जाट, निवासी बड़ागांव तर्फे आम मुख्त्यार तेजराम पिता शालागराम जाट, निवासी धारण पोस्ट तरनाव जिला नागौर, राजस्थान को अंतरिम सुपुर्दगी में दिया गया है। उक्त वाहन व दस्तावेज का अन्य कोई दावेदार नहीं

28/02/24

(सुश्री सृष्टि चौरसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

होने से उक्त अंतरिम अभिरक्षा के आदेश को दंप्रसं की धारा 452 के अंतर्गत अंतिम मानते हुए आवेदक की अंतिम अभिरक्षा में दिया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति का व्यनन किया जावे।

12. अभियुक्त द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान कोई निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा–428 द.प्र.सं. पृथक से बनाया जाए।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

स्थान :– देपालपुर, इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक :– 08.02.2024

08/02/24

(सुश्री सृष्टि चौरसिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर